

अध्याय - IV

सामाजिक अवसंरचना

4.1 प्रस्तावना

पीएमडीपी के अंतर्गत सामाजिक अवसंरचना में अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में स्वास्थ्य की देखरेख के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एआईआईएमएस) की तरह दो संस्थानों का निर्माण; भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), जम्मू और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जम्मू की स्थापना का निष्पादन किया जाना; हिमायत योजना के अंतर्गत एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जुड़े हुए स्व-रोजगार और वेतन रोजगार स्थानन हेतु प्रशिक्षित किया जाना; खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए तत्कालीन राज्य में इनडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण, शामिल था। अन्य योजनाएं जैसे कि दो वर्ष के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के पारिश्रमिक की ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक बढ़ी हुयी दर; पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम का आरंभ इत्यादि भी इसी भाग का हिस्सा हैं।

पीएमडीपी के सामाजिक अवसंरचना खण्ड में, विकास के लिए कुल ₹8,057 करोड़ के परिव्यय सहित दस परियोजनाएं आरंभ की गयी थी, जिनमें से दो परियोजनाओं को विस्तृत नमूना जाँच हेतु चुना गया था। ये थी:

- पीएमडीपी के अंतर्गत आबंटित निधियों से अनन्य रूप से ₹250 करोड़ के निवेशन के साथ ₹1,601.51 करोड़ के कुल परिव्यय सहित 'हिमायत' योजना।
- पीएमडीपी के अंतर्गत आबंटित निधियों से दो वर्ष की अवधि हेतु ₹450 करोड़ की अनुमानित लागत सहित एसपीओ को पारिश्रमिक की बढ़ी हुयी दर।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

4.2 हिमायत योजना के अंतर्गत उठाये गये कदम

4.2.1 प्रस्तावना

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), जीओआई ने 'हिमायत' (अक्टूबर 2011) का प्रमोचन किया, जो बाद में तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) की योजना के अधीन एक पृथक

ऊर्ध्वाधर के रूप में प्रकार्यात्मक थी, जिसमें दोनों श्रेणियों के अंतर्गत शहरी के साथ-साथ ग्रामीण युवा समाविष्ट थे:

- गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल); तथा
- गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल)

स्व-रोजगार के साथ-साथ औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को सुकर बनाने के लिए कौशल प्रदान करने हेतु एमओआरडी, जीओआई द्वारा पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तपोषण के रूप में ₹250 करोड़ सहित पाँच वर्षों की अवधि में ₹1,601.51 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक लाख युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित (नवंबर 2015) किया गया था। तत्पश्चात, एमओआरडी, जीओआई ने नवंबर 2020 तक प्राप्त किये जाने हेतु लक्ष्य वर्ग के कम से कम 70 प्रतिशत के स्थानन आश्वासन के साथ यह लक्ष्य 1.24 लाख युवाओं तक परिशोधित (जुलाई 2016) किया था। कंप्यूटर अभिविन्यस्त कौशल, सॉफ्ट स्किल्स, तकनीकी कौशल के साथ-साथ अंग्रेजी में संप्रेषण कौशल इत्यादि पर पाठ्यक्रमों हेतु दोनों आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने थे। पाठ्यक्रमों की अवधि तीन से बारह महीनों के बीच थी।

4.2.2 संरचनात्मक क्रियाविधि

यद्यपि राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जेकेएसआरएलएम) की स्थापना की थी, तथापि, हिमायत प्रबंधन मिशन, जीओजेएण्डके का एक समर्पित मिशन, विशेष रूप से तत्कालीन जेएण्डके राज्य में कार्यक्रम¹ के कार्यान्वयन हेतु गठित किया गया था। इस मिशन को ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (जीपी) में इकाइयों और राज्य स्तर पर मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) की अध्यक्षता में हिमायत मिशन प्रबंधन इकाई (एचएमएमयू) सहित, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके के पर्यवेक्षण में कार्य करना था। एचएमएमयू की क्षेत्र इकाइयाँ, कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरण (पीआईए), जो राज्य स्तरीय परियोजना समीक्षा समिति (एसएलपीआरसी) के अनुमोदन और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद की अनुशंसा पर एचएमएमयू द्वारा चयनित किए जाने वाले बाह्य अभिकरण थे, के सहयोग सहित, स्थानन को सुकर

¹ मिशन दस्तावेज।

बनाने और कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं की पहचान एवं परामर्श हेतु उत्तरदायी थी।

जून 2019 तक, 28 पीआईए 54 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों/कौशलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के कार्य में लगे हुए थे।

4.2.3 लेखापरीक्षा नमूना

एचएमएमयू तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 54 प्रशिक्षण केन्द्रों में से 14² को प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (एसआरएसडब्ल्यूओआर) विधि द्वारा चुना गया था और 14 नमूना प्रशिक्षण केन्द्रों में हितभागियों को विस्तृत संवीक्षा हेतु यादृच्छिक रूप से चुना गया था।

4.2.4 कार्यान्वयन

कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों के परीक्षण (जून 2019) से पता चला कि यद्यपि एचएमएमयू राज्य स्तर पर स्थापित (जुलाई 2016) किया गया था, तथापि कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में एचएमएमयू की सहायता के लिए जिला और खण्ड स्तरों पर कोई सहायक स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया था। अतः जीपी जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु युवाओं के जुटाव (जनवरी 2019 तक) को आसान बनाने में और जागरूकता पैदा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में सबसे गरीब परिवारों तक पहुँचने में शामिल नहीं थे। जीपी द्वारा गतिविधियों में सहभागिता विभाग द्वारा जनवरी 2019 से ही शुरू की गई थी। परिणामस्वरूप, मार्च 2019 तक प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं की गयी थी।

निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि योजना को आरंभ में जेकेएसआरएलएम के यूएमईईडी³ कार्यक्रम के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया था, क्योंकि पंचायतों का गठन वर्ष 2018 के अंत में ही किया गया था और कार्यान्वयन योजना के आरंभिक भाग के दौरान पीआईए की संख्या बहुत कम थी।

² 1. बाबा साहेब अम्बेडकर, दिल्ली; 2. ब्राइट नियॉन, जम्मू; 3. डेटा प्रो जम्मू; 4. अर्थकॉन कंस्ट्रक्शन, श्रीनगर; 5. फिदेलिस कॉरपोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड; 6. आईसीए, सांबा; 7. आईएलएण्डएफएस-1, बडगाम; 8. आईएलएण्डएफएस-1, कुपवाड़ा; 9. आईएलएण्डएफएस 1 ऊधमपुर; 10. इंटेलिजेन्स मैनपाँवर, कठुआ; 11. जेकेडीएजी, बडगाम; 12. मास इन्फोटेक, कठुआ; 13. रूमन टेक्नोलोजी; और 14. सायदवाड, दिल्ली।

³ जेकेएसआरएलएम द्वारा संचालित की जा रही योजना।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एचएमएमयू की ओर से समन्वय हेतु जिला और खण्ड स्तरों पर सहायक स्टाफ की अनुपस्थिति ने योजना के प्रभाव को सीमित किया।

4.2.5 नियोजन

परियोजना दिशानिर्देश⁴ अनुमानित आउटपुट को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियाँ बनाने हेतु एक राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) की तैयारी का उपबंध करते हैं। तदुपरांत वार्षिक कार्य योजना की तैयारी की जानी थी, जिसे प्रत्येक वर्ष के 01 दिसंबर तक भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना था। एसपीआईपी को योजना के अंतर्गत युवाओं की संख्या, उनकी कौशल आवश्यकताओं, सात वर्षों को समाविष्ट करते हुए मध्यम अवधि हेतु, समाविष्ट ट्रेडों और प्रक्षेत्रों जिनके लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता थी और विशेष परियोजनाओं के साथ-साथ प्रशिक्षित हितभागियों के स्थानन एवं नवाचार हेतु क्षेत्रों के पहचान की आवश्यकता को प्रस्तावित करना अपेक्षित था। कौशल अंतराल मूल्यांकन (एसजीए), बाजार निरीक्षणों और सर्वेक्षणों और साहित्य समीक्षाओं इत्यादि से आधारभूत जानकारी गरीब और अरक्षित समुदायों की विभिन्न श्रेणियों से युवाओं का विवरण प्राप्त करने हेतु राज्य में परिदृश्यों का स्थिति विश्लेषण करने के लिए एकत्रित की जानी थी ताकि प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें कौशल प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा (मई 2019) में पाया गया कि सात वर्षों की अवधि को समाविष्ट करने वाला एसपीआईपी तैयार नहीं किया गया था और इसके बजाय मिशन ने वर्ष 2016 से 2019 की अवधि हेतु पहले चरण के लिए तीन वर्षीय योजना, उसके बाद वर्ष 2019 से 2022 की अवधि के लिए फरवरी 2019 में एक और तीन वर्षीय योजना प्रस्तुत (जुलाई 2016) की। योजनाएं कार्यक्रम के अंतर्गत समाविष्ट किए जाने वाले ट्रेडों की पहचान के बिना भी प्रस्तुत की गयी थी।

आधारभूत सर्वेक्षण के अभाव में, विभाग गरीबों को कौशल प्रदान करने के लिए राज्य में परिदृश्य का स्थिति विश्लेषण तैयार नहीं कर सका जिसे गरीबों और अरक्षित क्षेत्रों से युवाओं की विभिन्न श्रेणियों के विवरणों को प्राप्त करने हेतु उन्हें कौशल कार्यक्रमों

⁴ जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों का पैरा 4.6

में लाया जाना अपेक्षित था जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2020 तक राज्य के कौशल अंतराल को पाटने के प्रयोजन को आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका।

निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की इच्छा थी कि राज्य को विभिन्न कौशलों में युवाओं के कौशल/ प्रशिक्षण हेतु तथा तत्पश्चात निजी क्षेत्र में उनके स्थानन के लिए तीन-वर्षीय कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए तथा एचएमएमयू कौशल अंतराल विश्लेषण के संचालन हेतु संस्थानों/ अभिकरणों की पहचान करने की प्रक्रिया में था, जिसके लिए प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के पास प्रस्तुताधीन था।

हालांकि जवाब मौन है कि कौशल अंतराल आंकलन, एक आवश्यक पूर्वापेक्षा, जो अभी तक संचालित (अगस्त 2020) की जानी थी, से आधारभूत जानकारी के रूप में कार्य योजना हेतु इनपुटों का प्रवाह कैसे हो रहा था।

इस प्रकार, योजना अकुशल नियोजन और बिना किसी महत्त्वपूर्ण इनपुटों के अपने अभिप्रेत लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधित हुयी जैसा कि पैराग्राफ 4.1.1 में विवरण दिया गया है।

4.2.6 वित्तीय प्रबंधन

हिमायत परियोजना डीडीयू-जीकेवाई का एक पृथक ऊर्ध्वाधर है जो कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूलों हेतु पूर्णरूपेण भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इन प्रशिक्षण मॉड्यूलों का एक समर्पित हिमायत मिशन प्रबंधन इकाई (एचएमएमयू) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाना था। योजना हेतु वार्षिक आबंटन⁵ राज्यों की आमेलन क्षमता तथा गरीबी अनुपातों के आधार पर जीओआई द्वारा निर्गत किया जाना था।

आरंभ में, राज्य सरकार द्वारा तीन दिनों की अवधि के अंदर भारत सरकार से प्राप्त निधियाँ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को हस्तांतरित करना आवश्यक था, जिसे बाद में (सितंबर 2018) 15 दिनों तक बढ़ा दिया गया। निर्धारित अवधि में मिशन निदेशक को निधियों के निर्मोचन में देरी के

⁵ दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार।

मामले में, राज्य सरकार को निर्दिष्ट अवधि से परे विलंब की अवधि हेतु 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना था।

वर्ष 2016 से 2019 की अवधि के दौरान निर्गत निधियों और किये गये व्यय की प्रास्थिति का विवरण तालिका 4.2.1 में दिया गया है।

तालिका 4.2.1: वित्तीय प्रास्थिति

(31 मार्च 2019 तक)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	जीओआई द्वारा संस्वीकृत निधि	जीओजेण्डके द्वारा निर्मोचन में विलंब	कुल उपलब्धता	व्यय (प्रतिशत)	अप्रयुक्त निधियाँ
2016-17	-	45.22	--	46.72	30.40 (65)	16.32
		1.50	222 दिन			
2017-18	16.32	2.36	--	76.42	28.02 (37)	48.40
		57.74	107 दिन			
2018-19	48.40	64.67	13 व 16 दिनों के मध्य	179.32	76.42 (43)	102.90
		66.25	--			
कुल		237.74		302.46	134.84 (57)	

(स्रोत: हिमायत मिशन का प्राप्ति व्यय विवरण)

वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान 13 दिनों से 222 दिनों के बीच की देरी से निधियाँ निर्गत की गयी थी। तदनुसार, विलंबित निर्मोचनों (मई 2019) के कारण राज्य सरकार मिशन को ₹2.81 करोड़ के ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी थी।

संयुक्त निदेशक (योजना) ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेण्डके, ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2020) कि निधियों के निर्मोचन में विलंब प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग, जीओजेण्डके के मध्य प्रक्रमण प्रक्रियाओं के अनुसरण में लिये गये समय के कारण था।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान, जीओआई द्वारा ₹234.94 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गयी थी, जिसके प्रति जीओजेण्डके ने मिशन के पक्ष में ₹52.68 करोड़ निर्गत किये और ₹182.26 करोड़ को रोके रखा। 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर ₹314.01 करोड़ के अप्रयुक्त शेष को छोड़ते हुए, वर्ष के दौरान ₹23.83 करोड़ का व्यय किया गया था।

4.2.6.1 निधियों का आहरण

एचएमएमयू ने कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईए) को सभी प्राप्तियों और जीओआई के केन्द्रीय आयोजना योजना निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) में दर्शाये जाने वाले लिंकड संवितरणों को मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार एक एकल समर्पित बैंक खाते का उपयोग करने हेतु निर्देश (मार्च 2017) दिया गया था। पीआईए को इस समर्पित बैंक खाते से राशियाँ केवल तभी हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी जब निधियों को संवितरित किया जाना अपेक्षित था।

संबंधित अभिलेखों के अनुसार, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एचएमएमयू द्वारा विनियोजित तीन⁶ पीआईए ने वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के दौरान समर्पित डीडीयू-जीकेवाई बैंक खाते से ₹23.01 करोड़ का आहरण किया था, जैसा कि तालिका 4.2.2 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2019) कि समर्पित खाते से भुगतान करने के बजाय, इन तीनों पीआईए ने एसओपी के उल्लंघन में अन्य बैंक खातों में तालिका 4.2.2 में दिये गये विवरणानुसार राशियाँ हस्तांतरित की थी। केवल एक⁷ ने ₹9.13 करोड़ का प्रतिदाय किया। दो वर्षों के बीत जाने के बाद भी, शेष ₹13.88 करोड़ (60 प्रतिशत) पीआईए के पास थे।

तालिका 4.2.2: निधियों का आहरण
(जून 2019 तक)

							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	प्रदान की गयी अग्रिम राशि	आहरित राशि	प्रतिपूर्ति की गयी राशि	बकाया राशि	शास्ति	कुल लंबित वसूली
1.	मैसर्स सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड	12.36	9.37	9.13	0.24	0.29	0.53
2.	मैसर्स अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड	8.18	7.39	0.00	7.39	0.16	7.55
3.	मैसर्स ओरियन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड	7.39	6.25	0.00	6.25	0.16	6.41
	कुल	27.93	23.01	9.13	13.88	0.61	14.49

(स्रोत: मिशन अभिलेख)

⁶ 1. मैसर्स अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड; 2. मैसर्स ओरियन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड; और 3. मैसर्स सूर्या वायर्स लिमिटेड।

⁷ मैसर्स सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड।

यह इंगित (मई 2019) किए जाने पर, निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि मार्च 2019 के अंत तक मैसर्स सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ₹9.37 करोड़ में से, केवल ₹9.13 करोड़ लौटाये/ जमा किये थे। शेष ₹13.88 करोड़ की प्रतिपूर्ति का आगे कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जब मामले का विभाग के साथ आगे अनुकरण (जनवरी 2021) किया गया था तो प्रतिपूर्ति की अद्यतित स्थिति के विवरण स्वरूप, सीओओ, हिमायत ने निम्नलिखित अद्यतित सूचना प्रस्तुत की:

- मैसर्स सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, ₹10.09 करोड़ की प्रतिपूर्ति कर ली गयी है तथा एचएमएमयू द्वारा ₹0.29 करोड़ की शास्ति अधिरोपित की गयी है।
- मैसर्स अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड के मामले में, ₹7.39 करोड़ की संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति कर ली गयी है तथा एचएमएमयू ने ₹0.16 करोड़ की शास्ति अधिरोपित की गयी है।
- मैसर्स ओरियन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, ₹3.14 करोड़ की प्रतिपूर्ति कर ली गयी है तथा एचएमएमयू द्वारा ₹0.16 लाख की शास्ति अधिरोपित की गयी है।

जैसा कि घटनाओं के कालक्रम से देखा जा सकता है, एसओपी के समग्र उल्लंघन में पीआईए को उनकी आवश्यकता की निगरानी के बिना निधियाँ उपलब्ध करायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि यह पीआईए के प्रथम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया था, अपयोजित राशियों की यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए एचएमएमयू द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, एसओपी का समग्र उल्लंघन करते हुए तीन पीआईए द्वारा कुल राशि ₹23.01 करोड़ के अस्थायी गबन पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

₹23.01 करोड़ की पर्याप्त राशि को शामिल करने वाले इस प्रकार के व्यपगमन और निजी सत्वाँ को अनुचित लाभ दिए जाने की जांच किए जाने की आवश्यकता है तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए कि भविष्य में ऐसे व्यपगमन न हों।

4.2.6.2 प्रशासनिक लागत के लिए पृथक बैंक खाता

एमओआरडी, जीओआई द्वारा जारी (सितंबर 2018) अनुदेशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रशासनिक लागत से संबंधित संव्यवहारों के लिए एक पृथक समर्पित बैंक खाता खोला जाना अपेक्षित था। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन के उपरांत लगभग तीन वर्षों में, विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा अनुदेश (सितंबर 2018) दिए जाने के बाद भी, एचएमएमयू द्वारा केवल 29 जनवरी 2020 को जेएण्डके बैंक में एक पृथक बैंक खाता खोला गया था। 18 सितंबर 2018 से 28 जनवरी 2020 तक एक पृथक बैंक खाते के अभाव में, प्रशासनिक खर्चों से संबंधित व्यय को पारदर्शी तरीके से अनुरक्षित नहीं किया गया था और इसलिए उस यथार्थ उद्देश्य को विफल करते हुए जिसके लिए अनुदेश जारी किये गये थे, लेखापरीक्षा द्वारा उक्त का परीक्षण नहीं किया जा सका।

यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के व्ययगमन न हों।

4.2.6.3 स्रोत पर आयकर की कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 194 के अनुसार, आयकर कटौती तब की जानी है जब निधियाँ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पीआईए को उपलब्ध करायी गयी थी। तथापि, यह देखा गया (मई 2019) कि सात पीआईए⁸ के मामले में, जो बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे थे, इन पीआईए को किये गये भुगतानों से स्रोत पर इन पीआईए से ₹55 लाख का टीडीएस नहीं काटा गया था, जिसके द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के साथ-साथ इन पीआईए को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।

इसे इंगित (मई 2019) किए जाने पर, निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने टीडीएस (आयकर) की गैर-कटौती पर टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि यह टीएएन संख्याओं के गैर-आबंटन के कारण हुआ था। आगे यह कहा गया था कि दूसरी किस्त जारी करते समय संबंधित पीआईए से उक्त की वसूली कर ली जाएगी।

⁸ अपोलो मेडिक्ल्स; 2 कैप फाउंडेशन; 3. आईएलएण्डएफएस; 4. मैन पॉवर ग्रुप; 5. ओरियन एजुकेशन; 6 सूर्या वायर्स; और 7. टीम लीज सर्विसेज।

शास्तियों को अधिरोपित करने से बचने के लिए, विभाग द्वारा पीआईए को भुगतानों से आयकर की कटौती से संबंधित प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाए।

4.2.7 परियोजनाओं का आरंभ

एचएमएमयू परियोजनाओं की संस्वीकृत के उपरांत इन परियोजनाओं के आरंभ की मानित तिथि से संबंधित आदेशों को जारी करता है। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु परियोजनाओं के आरंभ के लिए पीआईए को समय अनुसूची का पालन करना अनिवार्य था। हालांकि, जैसा कि सीओओ, एचएमएमयू के अभिलेखों से देखा गया, 20 पीआईए के मामले में परियोजनाओं के आरंभ में बहुत देरी हुयी थी, जहाँ एक तकनीकी सहायता अभिकरण (टीएसए) के विनियोजन तथा निधियों की उपलब्धता के बावजूद, परियोजनाओं के आरंभ की मानित तिथि और आरंभ की वास्तविक तिथि के मध्य अंतर नौ दिनों से 169 दिनों के बीच था।

4.2.7.1 युवाओं के प्रशिक्षण और स्थानन में प्रगति

हिमायत कार्यक्रम के अंतर्गत पीआईए द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण⁹ के समापन के पश्चात् एक सुनिश्चित रोजगार सहित प्रभाव क्षेत्रों/ कौशलों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। पीआईए राज्य में या राज्य से बाहर प्रवेश स्तर सेवा/ विनिर्माण क्षेत्र नौकरियों में नियुक्त किये जाने हेतु प्रशिक्षणार्थियों के 70 प्रतिशत के अपेक्षित परिणाम के साथ युवाओं का प्रशिक्षण संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जीओजेएण्डके से प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों को जुटाने और इस उद्देश्य के लिए विद्यमान स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सक्रिय करने के लिए अनुरोध¹⁰ किया गया था। वर्ष 2016 से 2019 तक के वर्षों के दौरान बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों और नौकरियों में लगाये गये प्रशिक्षित युवाओं की वर्ष वार प्रास्थिति तालिका 4.2.3 में दी गई है।

⁹ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि तीन से 12 महीनों के बीच थी।

¹⁰ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2016 को आयोजित समीक्षा बैठक में।

तालिका 4.2.3: प्रशिक्षणों तथा स्थाननों की प्रास्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)	उपलब्धियाँ (प्रतिशत)	किये गये स्थानन (प्रशिक्षितों की कुल संख्या की तुलना में प्रतिशत)
1.	2016-17	9,200	0 (0)	0 (0)
2.	2017-18	18,352	123 (1)	0 (0)
3.	2018-19	25,995	4,371 (17)	732 (17)
	कुल	53,547	4,494 (8 प्रतिशत)	732 (16 प्रतिशत)

(स्रोत: हिमायत मिशन के अभिलेख)

जैसा कि तालिका 4.2.3 में देखा जा सकता है, यद्यपि वर्ष 2016 से 2019 की अवधि के दौरान 53,547 युवाओं की लक्ष्य संख्या को प्रशिक्षित किया जाना था, उपलब्धि केवल 4,494 (8 प्रतिशत)¹¹ थी। 27 सक्रिय पीआईए थे जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक 4,494 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया था और 6,871 उम्मीदवार प्रशिक्षणाधीन थे। हालांकि वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान केवल 123 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था और इन वर्षों के दौरान उनके कोई स्थानन नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016 से 2019 की अवधि के दौरान कुल 4,494 प्रशिक्षित युवाओं में से, केवल 732 युवाओं (16 प्रतिशत) को नौकरियों में लगाया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, तथापि 10,045 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था, जिनके प्रति 2,582 (26 प्रतिशत) युवाओं को नौकरियों में लगाया गया था।

निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि उम्मीदवारों को स्थानन उपलब्ध कराने में चुनौतियाँ थी क्योंकि सीमित संगठित निजी क्षेत्र अवसरों और उम्मीदवारों की राज्य से बाहर नौकरियाँ आरंभ करने हेतु राज्य से बाहर जाने की अनिच्छा के कारण राज्य में रोजगार की कम संभाव्यता थी। स्थाननों की संख्या बढ़ाने के लिए, एचएमएमयू ने जून 2019 में रोजगार मेले का आयोजन किया था, जिसमें 10 कंपनियों ने 194 उम्मीदवारों को

¹¹ ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया अर्थात् टेस्ट इंजीनियर सॉफ्टवेयर, बैंकिंग एसोसिएट, रिटेल सेल्स एसोसिएट, हेल्थ केयर मल्टीपर्सनल वर्कर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सेल्स डायरेक्टर, इंश्योरेन्स सेल्स एसोसिएट, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हल्का मोटर वाहन (एलएमवी) चालक स्तर-III, आतिथ्य सत्कार सहायक, सुरक्षा गार्ड, सहायक इलेक्ट्रीशियन, फैशन डिजायनर, सिलाई मशीन प्रचालक आदि।

नौकरियों की पेशकश की थी। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आठ और रोजगार मेलों का आयोजन किया गया था।

यह उत्तर आंशिक रूप से सही है क्योंकि इस अवधि के दौरान राज्य में कुछ नये विशेषीकृत संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम स्थापित किये गये हैं।

इस प्रकार, वर्ष 2019-20 में वर्धित उपलब्धि के बावजूद, योजना को सफल बनाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

4.2.8 मानव संसाधन प्रबंधन

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अनुवीक्षा हेतु, जीओजेएण्डके को पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता थी ताकि मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के नेतृत्व में एक पूर्णकालिक समर्पित टीम की स्थापना हो सके। खण्ड कार्यक्रम प्रबंधकों (बीपीएम) के साथ-साथ सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को भी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता थी और खण्ड स्तर एवं नीचे के स्तर पर विनियोजित व्यावसायिकों की लागत कार्यक्रम लागतों में उपलब्ध करायी गयी थी।

मार्च 2019 तक, 16 संस्वीकृत पदों¹² के प्रति केवल छह पदों¹³ को भरा गया/ कार्य में लगाया गया था, शीर्ष स्तर पर 63 प्रतिशत की कमी थी। वर्ष 2019-20 के दौरान स्थिति में सुधार नहीं हुआ क्योंकि मार्च 2020 तक उपलब्ध पदों की रिक्ति 54 प्रतिशत थी। जिला और खण्ड स्तर पर कमी 100 प्रतिशत थी, यद्यपि 340 पद¹⁴ संस्वीकृत थे।

निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने (अगस्त 2020) कहा कि एमओआरडी, जीओआई के सुझाव पर बाह्य स्रोत के आधार पर राज्य/ जिला स्तर पर स्टाफ के विनियोजन हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग में प्रक्रियाधीन था।

बाह्य स्रोत के आधार पर स्टाफ के विनियोजन हेतु एचएमएमयू के प्रस्ताव का प्रशासनिक विभाग में प्रक्रियाधीन रहना जारी है।

¹² सीओओ (1), एसपीएम (7), एसओ (1), पीए (1), लेखा सहायक (2), डीईओ (4)।

¹³ सीओओ (1), एसपीएम (3), डीईओ (2)।

¹⁴ जिला कार्यकर्ता (22), खण्ड कार्यकर्ता (318)।

जीओजेण्डके प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु विचार कर सकती है।

4.2.9 अनुवीक्षण क्रियाविधि

इस योजना के सम्मत लक्ष्यों की प्राप्ति में पीआईए और राज्यों की सहायता हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। सम्मत निष्पादन संकेतकों के प्रति पीआईए के निष्पादन के अनुवीक्षण हेतु, उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्रणाली और स्वतंत्र अनुवीक्षकों के परिनियोजन के साथ वेब आधारित इंटरनेट अनुप्रयोग के माध्यम से समवर्ती अनुवीक्षण अपेक्षित था। गुणवत्तापूर्ण अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए पीआईए और एचएमएमयू में उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण टीमों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता थी।

अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण (मई 2019) से प्रकट हुआ कि मिशन ने तकनीकी सहायता अभिकरण (टीएसए) के रूप में एनएबीएआरडी कंसल्टेन्सी सर्विसेज (एनएबीसीओएनएस) को विनियोजित (जनवरी 2019) किया था। हालांकि, इस कार्यक्रम में उल्लिखित गतिविधियों को आरंभ करने हेतु टीएसए द्वारा पर्याप्त स्टाफ के गैर-परिनियोजन के कारण चुनौतियों का सामना किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जीओआई और जीओजेण्डके को कार्यान्वयन की गति के साथ-साथ सहक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश¹⁵ (नवंबर 2017) दिया गया था और जीओजेण्डके को योजना के संबंधित घटकों के उद्योग संपर्क को बढ़ाने के लिए सात से आठ विषयगत विशेषज्ञों को नियुक्ति करना था, जो अभी तक (अगस्त 2020) किया जाना था। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने के बावजूद, गुणवत्तापूर्ण अनुवीक्षण टीमें स्थापित नहीं की गयी थी।

निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि एचएमएमयू ने मई 2018 में परियोजनाओं के समवर्ती अनुवीक्षण हेतु टीएसए के रूप में एनएबीसीओएनएस का विनियोजन किया था और एनएबीसीओएनएस द्वारा स्टाफ के परिनियोजन के संबंध में एचएमएमयू और एनएबीसीओएनएस के मध्य एमओयू के अनुसार उनके द्वारा अपेक्षित संख्या में समस्त स्टाफ परिनियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, जम्मू में फरवरी 2020

¹⁵ 20-30 नवंबर 2017 को केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयानुसार।

के दौरान एचएमएमयू द्वारा दो दिवसीय मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी थी और उद्योग के गणमान्य व्यक्तियों ने परियोजना की अन्य गतिविधियों के समर्थन में पीआईए को लिकेज प्रदान करने के अलावा हिमायत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

हालांकि, जैसा कि सीओओ, एचएमएमयू द्वारा उपाध्यक्ष, एनएबीसीओएनएस, नई दिल्ली के साथ किये गये पत्र व्यवहार (जनवरी 2019) में देखा गया था कि एनएबीसीओएनएस द्वारा परिनियोजित मानव संसाधन की क्षमता और संख्या दोनों के संदर्भ में एचएमएमयू द्वारा इन कठिनाईयों का सामना किया जा रहा था।

योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुवीक्षण क्रियाविधि को सशक्त करने की आवश्यकता है।

4.2.10 प्रभाव आंकलन

योजना के दिशानिर्देशों¹⁶ के अनुसार एचएमएमयू द्वारा प्रभाव आंकलन को संचालित किया जाना आवश्यक था।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2020 तक एचएमएमयू द्वारा स्वतंत्र अध्ययनों के माध्यम से योजना का कोई प्रभाव आंकलन और मूल्यांकन नहीं किया गया था।

राज्य के ग्रामीण/ शहरी युवाओं पर योजना के प्रभाव का आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 13 प्रशिक्षण केन्द्रों (54 प्रशिक्षण केन्द्रों में से) में 211 हितभागियों से बातचीत की गयी। आयोजित किये गये साक्षात्कारों से उद्धृत कार्यक्रम प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू, बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान, युवाओं को उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं, आम लोगों की जागरूकता, हितभागियों का संतुष्टि स्तर इत्यादि तालिका 4.2.4 में वर्णित हैं।

¹⁶ योजना दिशानिर्देशों का पैरा 3.2.1.7 (V)

तालिका 4.2.4: हितभागी साक्षात्कार

क्र. सं.	प्रश्नावली	अनुपात	प्रतिक्रिया (संख्या में)	प्रतिशत
1.	क्या प्रशिक्षणाधीन युवा आवासीय/ गैर-आवासीय है	आवासीय/ गैर-आवासीय	74/137	35/65
2.	प्रशिक्षणाधीन युवाओं की योग्यता	दसवीं तथा इससे अधिक परंतु अधिस्नातक/ स्नातक	193/18	91/9
3.	युवाओं का लिंग	पुरुष/ महिला	114/97	54/46
4.	श्रेणी: क्या सामान्य/ अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. है	सामान्य/ अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व.	128/83	61/39
5.	क्या युवा प्रशिक्षणाधीन है या प्रशिक्षणावधि पूर्ण कर चुका है	प्रशिक्षणाधीन/ प्रशिक्षित	211	100
6.	कार्यक्रम/ योजना के बारे में युवाओं की जागरूकता	परामर्श/ रिश्तेदारों, मित्रों के माध्यम से	76/135	36/64
7.	प्रशिक्षण हेतु युवाओं का चयन कैसे किया गया था	अभिक्षमता परीक्षा/ अन्यथा	197/14	93/7
8.	क्या युवाओं द्वारा ज्ञान की शाखा का चयन किया गया था या इसे प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आबंटित किया गया था	युवा द्वारा/ केन्द्र द्वारा	129/82	61/39
9.	प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध भोजन और आवास की गुणवत्ता	अच्छा/ सामान्य	74/0 (केवल आवासीय)	100
10.	क्या मानदेय (गैर-आवासीय) का स्वीकार्य भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं	प्राप्त हुआ/ प्राप्त नहीं हुआ	88/49 (केवल 137 से बातचीत की गयी)	64/36
11.	नौकरी के अवसरों से संबंधित युवाओं की संतुष्टि का स्तर	हाँ/ नहीं	211/0	100

(स्रोत: हितभागी सर्वेक्षण प्रतिवेदन)

निदेशक, वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि कार्यक्रम के लिए व्यापक प्रभाव आंकलन संचालित नहीं किया गया था किन्तु कौशल प्रशिक्षणाधीन विभिन्न उम्मीदवारों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियाँ, जिनका विभिन्न कंपनियों में स्थानन किया गया था, को अभिलेखबद्ध किया गया था तथा मिशन सुनिश्चित स्थानन सहित एक बार प्रशिक्षणार्थियों की पर्याप्त संख्या प्राप्त होने पर प्रभाव आंकलन और मूल्यांकन को आरंभ करेगा।

गृह विभाग

4.3 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक पारिश्रमिक की बढ़ी हुयी दर

4.3.1 प्रस्तावना

तत्कालीन राज्य पुलिस के परिचालनात्मक सामर्थ्य के संवर्धन हेतु सन् 1995 में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के विनियोजन हेतु एक योजना शुरू की गयी थी। यद्यपि, यह योजना सन् 1995 से अस्तित्व में थी, तथापि जीओआई के पीएमडीपी के अंतर्गत जनवरी 2016 से ₹450 करोड़ की एक विशिष्ट परियोजना ₹3,000 से अधिकतम ₹6,000 तक उनके मासिक पारिश्रमिक को क्रमबद्ध तरीके¹⁷ से बढ़ाते हुए विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की रहने की स्थितियों को सुधारने के प्रयोजन सहित अनुमोदित (मार्च 2016) की गयी थी। परियोजना, दो वित्तीय वर्षों 2015 से 2017 तक या सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) योजना के प्रचलन तक, जो भी पहले हो, कार्यान्वित की जानी थी।

79 लेखापरीक्षिती इकाइयों में से, 20 इकाइयाँ नमूना चयन हेतु परिनियोजित एसपीओ की अधिकतम संख्या के मापदण्ड को अपनाते हुए निर्णयात्मक प्रतिचयन विधि द्वारा विस्तृत जाँच के लिए चुनी गयी थी।

इस परियोजना में, गृह मंत्रालय (एमएचए), जीओआई को सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) के माध्यम से व्यय की प्रतिपूर्ति द्वारा राज्य सरकार को संसाधन सहायता उपलब्ध करानी थी। राज्य स्तर पर, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) के साथ प्रधान सचिव, गृह विभाग, जीओजेएण्डके के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा कार्यान्वित की गयी थी।

जीओआई के आदेश पर विभाग (मार्च 2019) द्वारा एसपीओ के कार्य निष्पादन की संवीक्षा का परिणाम वर्ष 2013 से 2019 की अवधि के दौरान विनियोजित 14,539 एसपीओ में से 2,650 एसपीओ (18 प्रतिशत) के गैर-विनियोजन के रूप में हुआ।

¹⁷ दिनांक 5 जनवरी 2016 के आदेश की शर्त 1

विभाग द्वारा ₹450 करोड़ की परियोजना की संपूर्ण लागत का व्यय कर दिया गया था, जबकि एसपीओ के नियमित मानदेय प्रभारों को एसआरई के अंतर्गत बुक किया गया था जिनकी प्रतिपूर्ति जीओआई द्वारा की जा रही थी।

4.3.2 अनुदेशों का अनुपालन

I. रिक्त पद

वर्ष 1995 के दौरान जीओआई द्वारा एसपीओ के 25,474 पदों की कुल संख्या को संस्वीकृति प्रदान की गयी थी और तदुपरांत सितंबर 2016 में एसपीओ की संस्वीकृत पदों की कुल संख्या को 35,474 तक बढ़ाते हुए, एसपीओ के 10,000 अतिरिक्त पदों को संस्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितंबर 2019 को 35,474 संस्वीकृत पदों के प्रति 30,231 एसपीओ ही कार्यरत थे और अगस्त 2020 तक बढ़े हुए मानदेय के बावजूद 3,305 (लगभग 9 प्रतिशत) की रिक्ति छोड़ते हुए, कार्यरत कुल एसपीओ की संख्या में 32,169 तक ही वृद्धि हुयी।

इस प्रकार, योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये प्रोत्साहन के बावजूद नौ प्रतिशत के अनुक्रम की रिक्तियाँ का विद्यमान रहना जारी रहा।

II. एसपीओ का प्रतिधारण

एमएचए, जीओआई ने निर्देश (अगस्त 2017) दिया कि एसपीओ के 4,251¹⁸ पद, जो कि खाली पड़े थे, को जब तक आस्थगित रखे जाना अपेक्षित था तब तक कि उनकी भर्ती हेतु जीओजेएण्डके द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू), जीओजेएण्डके द्वारा निर्देश (अगस्त 2017) जारी किये गये थे कि एमएचए, जीओआई के अगले आदेशों तक एसपीओ का विनियोजन नहीं होगा। तथापि, विभाग के 12 नमूना कार्यालयों में 1,066 एसपीओ संस्वीकृत सीमा से अधिक प्रतिधारित थे और उक्त अनुदेशों के विपरीत दिसंबर 2017 तक पारिश्रमिकों का आहरण किया गया था।

विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि एमएचए के पत्र व्यवहार की देरी से प्राप्ति के कारण विनियोजन की प्रक्रिया जारी रही और एमएचए द्वारा मार्च 2018 में उक्त अवधि के दौरान विनियोजित 940 एसपीओ हेतु सहमति प्रदान की गयी थी।

¹⁸ 25,474 संस्वीकृत पदों में से 1,089 (सितंबर 2016 तक) तथा 10,000 संस्वीकृत पदों में से 3,162 (सितंबर 2016 से)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि 1,066 एसपीओ को प्रतिधारित रखा गया था, यद्यपि प्रतिधारण के लिए सहमति केवल 940 एसपीओ हेतु थी।

इस प्रकार, प्राधिकृत संख्या से अधिक जनशक्ति का प्रतिधारण जारी है और उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के बिना भुगतान किया जा रहा है।

यह अनुशंसा की जाती है कि विद्यमान रिक्तियों को नियत प्रक्रिया के पालन सहित शीघ्रता से भरा जाए ताकि योजना में प्रस्तावित लाभों को प्राप्त किया जा सके।